

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2010/डी-1892

दिनांक: 29-4-10

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 150वीं बैठक दिनांक 23.04.2010 में लिये गये निर्णय का विवरण


ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1	150.1	कार्यकारी समिति की 149वीं बैठक दिनांक 26.03.2010 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।		
2	150.2	गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एल-25 के नियमितिकरण के संबंध में।	उपायुक्त जोन-8	
3	150.3	सीताराम विहार योजना का व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 3 क्षेत्रफल 116.12 वर्गमीटर के नियमितिकरण के संबंध में।	अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	
4	150.4	स्व. श्री जगदीश धानका, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा सेवाकाल में प्राधिकरण से चिकित्सा के पेटे ली गयी अग्रिम राशि पर देय ब्याज राशि की माफी के संबंध में।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
5	150.5	प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में जारी आदेश दिनांक 08.04.10 की कार्योत्तर पुष्टि बाबत।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTRY AGENDA)				
6	150.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम हरध्यानपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 97, 98/484, 625/101, 56/483, 99, 100, 101/1, 102/1 व 621/103 किता 9 रकबा 5.3502 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (कंचन देवी कोठारी)	वर्षित नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
		ग्राम हरध्यानपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 97, 98/484, 625/101, 56/483, 99, 100, 101/1, 102/1 व 621/103 किता 9 रकबा 5.3502 हैक्टर भूमि अर्थात् 53502 व.मी. भूमि में से नेशनल हाईवे की सड़क सीमा में निहित होने वाली 1215 व.मी. भूमि तथा प्लॉटेशन कोरीडोर से प्रभावित 2860 व.मी. भूमि छोड़ने के उपरान्त प्रस्तावित 40 फीट सड़क में आने वाली प्रार्थी की भूमि को छोड़कर शेष भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया था। विचार विमर्श पश्चात् ग्राम हरध्यानपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 97, 98/484, 625/101, 56/483, 99, 100, 101/1, 102/1 व 621/103 किता 9 रकबा 5.3502 हैक्टर भूमि अर्थात् 53502 व.मी. भूमि में से नेशनल हाईवे की सड़क सीमा में निहित होने वाली 1215 व.मी. भूमि को निःशुल्क समर्पित करने व प्लॉटेशन कोरीडोर से प्रभावित 2860 व.मी. भूमि व प्रस्तावित 40 फीट सड़क के स्थान पर 60 फीट सड़क सीमा में आने वाली 954 व.मी. भूमि को जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष रही 48473 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया तथा साथ ही विद्युत लाईन से निर्धारित दूरी 2414.50 व.मी. भूमि के क्षेत्र को नो कन्स्ट्रक्शन जोन के रूप में रखा जाना प्रस्तावित किया जाकर प्रकरण 10000 व.मी. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।		

[Handwritten signature]

310-

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
7 150.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम कानोता तहसील बरसी के ख. नं. 989/702 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 15516.5 वर्गमीटर में से 2996.5 व.मी. जविप्रा की भूमि मानकर कम करने के पश्चात् मौके पर प्राप्त 10967.5 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में।	कार्यकारी समिति की 147वीं बैठक दिनांक 19.01.10 में ग्राम कानोता तह. बरसी के ख.नं. 998/702 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 15516.5 व.मी. में से 2996.5 व.मी. जविप्रा की भूमि मानकर कम करने के पश्चात् मौके पर शेष रही भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 1552.5 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात् शेष 10967.5 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया था। पूर्व में प्रस्तुत एजेण्डा नोट में ख.नं. 998/702 के स्थान पर 989/702 किये जाने के संबंध में प्राप्त एजेण्डे के संबंध में विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ख.नं. 998/702 के स्थान पर 989/702 पढ़े जाने का निर्णय लिया गया तथा साथ ही जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 25 (3) के प्रकाशन में शुद्धि पत्र जारी करवाये जाने एवं प्रकरण 10000 व.मी. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
8 150.8	जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना श्याम नगर विस्तार के भूखण्ड सं. डी-4 क्षेत्रफल 637 व.ग. का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक (होटल) किये जाने के संबंध में। (श्रीमती संतोष कुमारी शेखावत)	विचार विमर्श सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा अनुमोदित न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना श्याम नगर विस्तार के भूखण्ड सं. डी-4 क्षेत्रफल 637 व.ग. का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक (होटल) किये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
9 150.9	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या सी-254 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या सी-254 का नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	
10 150.10	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या आई-99 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या आई-99 को नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	
11 150.11	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम नांगल पुरोहितान तहसील आमेर के खसरा नं. 78/1 रकबा 0.25 हैक्टर भूमि में से 1740 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक (गैस गोदाम) किये जाने के संबंध में। (जितेन्द्र बिवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम नांगल पुरोहितान तहसील आमेर के खसरा नं. 78/1 रकबा 0.25 हैक्टर भूमि में से 1740 व.मी. भूमि में से 510 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 1230 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक (गैस गोदाम) किये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
12 150.12	Approval of master Bid Document for tenders invited in two Bid System.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से Executive Eng. (TA Cell) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	Executive Eng. (TACell)	

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालिका रिपोर्ट	
13	150.13	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम रामपुराबास देवलिया/सांगानेर के खसरा नं. 261, 262, 263/1, 264/1, 265, 266, 263/324 कुल किता 7 कुल रकबा 4.3030 हैक्टर भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की 300 फीट चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है प्रभावित सड़क विस्तार से प्रभावित भू-पट्टी का क्षेत्रफल 3162.0 व.मी. जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने तथा प्लांटेशन कोरीडोर में आरक्षित 5040 भूमि कम करने के पश्चात् शेष 34828.0 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में।	कार्यकारी समिति की 134वीं बैठक दिनांक 24.10.08 में ग्राम रामपुराबास देवलिया/सांगानेर के खसरा नं. 261, 262, 263/1, 264/1, 265, 263/324 कुल किता रकबा 4.3030 हैक्टर भूमि में से मुख्य सड़क अजमेर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की 300 फीट चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है प्रभावित सड़क विस्तार से प्रभावित भू-पट्टी का क्षेत्रफल 3162.0 व.मी. जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने तथा प्लांटेशन कोरीडोर में आरक्षित 5040 व.मी. भूमि कम करने के पश्चात् शेष 32828.0 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से व्यावसायिक (मात्र होटल हेतु जिसमें अन्य वाणिज्यिक उपयोग अनुज्ञेय नहीं होंगे) का निर्णय लिया गया था। पूर्व में प्रस्तुत एजेण्डा नोट में ख.नं. 266 सम्मिलित नहीं होने के कारण ख.नं. 266 को सम्मिलित किये जाने के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
14	150.14	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम फतेहपुरा वास वाटिका तहसील चाकसू के ख.नं. 806, 807/1 किता 2 रकबा 1.19 हैक्टर भूमि में से मौके पर उपलब्ध 11898.54 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (पोद्दार ट्रस्ट जरिये श्री आनंद पोद्दार)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम फतेहपुरा वास वाटिका तहसील चाकसू के ख.नं. 806, 807/1 किता 2 रकबा 1.19 हैक्टर भूमि में से मौके पर उपलब्ध 11898.54 व.मी. भूमि में से 100 फीट सड़क में निहित होने वाली 2454.32 व.मी. तथा 60 फीट सड़क में निहित होने वाली 1294.64 व.मी. कुल 3748.96 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात् शेष 8149.59 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	


 सदस्य सचिव
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

2625

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 150वीं बैठक दिनांक 23.04.10 को प्रातः 10.30 जे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री सुधांशु पंत, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री सुधांशु पंत	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्रीमती गायत्री ए राठौड	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्री पुरुषोत्तम बियाणी	शासन उप सचिव (प्रथम)	राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
4	श्री एस.के. पचोली	निदेशक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री एच.एस. सचेती	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री ओ.पी. दोराया	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्री एम.पी. स्वामी	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
8	श्री विनय शर्मा	EX (CDIV)	जेवीवीएनएल	सदस्य के प्रतिनिधि
9	श्री जसवन्त सिंह	अति. कलेक्टर (सिटी नोर्थ)	कलेक्ट्रेट	सदस्य के प्रतिनिधि
10	श्री अशोक शर्मा	उप पुलिस अधीक्षक	पुलिस	सदस्य के प्रतिनिधि
11	श्री डी.आर. चौहान	अति.मुख्य अभियन्ता	पीडब्ल्यूडी जोन-11	सदस्य के प्रतिनिधि
12	श्री अनिल कुमार पतरिया	DTP	रिको	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
13	श्रीमती सुचि शर्मा	अति. आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री शफी मोहम्मद कुरैशी	अति. आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्रीमती दुर्गा जोशी	अति. आयुक्त (एलपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री जाकिर हुसैन	अति. निदेशक (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री राकेश शर्मा	ओएसडी (आरएम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री एन. इन्दोरिया	ओएसडी पीआर	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री गिरिराज पाराशर	उपायुक्त जोन-5	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्री हर्देश शर्मा	उपायुक्त जोन-8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21	श्री बी.एल. गोयल	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22	श्री पुरुषोत्तम शर्मा	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23	श्री पी.सी. शर्मा	उपायुक्त जोन-13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24	श्री पी.अरविन्द	एसटीपी (मास्टर प्लान)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25	श्री अजय गर्ग	E.E. (TA Cell)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव
जयपुर प्रा. विकास प्रा. जयपुर

363-1

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2010/डी-892
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सलग्न है:-

दिनांक: 29-4-10

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	ज़िला प्रमुख	ज़िला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	ज़िला कलक्टर	ज़िला कलैक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम/प्रशासन/एल.पी.सी/भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम)/अति.निदे. (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	उपायुक्त (समन्वय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।

सचिव
जविप्रा, जयपुर

364-1